सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

विभागीय मेन्यूअल

स्वास्थ्य विभाग
राजगढ़(ब्यावरा)म.प्र.

बिन्दु कमाक 1

1. उद्वेश्य :– स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्वेश्य केन्द्र एंव राज्य शासन की विभिन्न योजनाओ को शासन के निर्देशानुसार कियान्वयन, आम जनता को विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य की देख भाल एवं उपचार देना है।
2. मिशन / विजन :– राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मिशन तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया है। जिसका का उद्धेश्य ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा बडे चिकित्सालयों में सभी प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं मे सुधार करना तथा छोटे चिकित्सालयों में आधारभूत चिकित्सा सूविधाओं की उपलब्धता सूनिश्चित करना तथा सभी राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ हितग्राहीयों को पहुचाना है।
3. संक्षिप्त इतिहास एंव उसके गठन का प्रसग :– देश की आजादी के बाद सन 19952 से 56 के बीच विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये । 1952 मे ही राष्ट्रीय परीवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया गया ताकि बढती हुई जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। 1954 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया । 1980 में एम.सी.एच. सेवाओं के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया गया। 1988 में सघन टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया गया। सन 1979 मे देश को स्माल पाक्स मुक्त घोषित किया गया। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी नारू उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। 1954 से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम प्रारभ किया गया तथा नई दवायें एम.डी.टी. की खोज के बाद जिले में बहु औषधि प्रणाली का प्रारभ 1994 मे किया जाकर सन 2000 मे लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिवाईज नेशनल कार्यक्रम ''डाट'' प्रारभ किया गया।
4. कर्तव्य :– स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य मीशन के निम्न कर्त्तव्य ।
    1. सभी नागरीकों को बेसीक हेल्थ केयर सुविधा उपलब्ध कराना।
    2. विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराना।
    3. बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर तक टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
    4. दस्त तथा निमोनिया रोग की रोकथाम के लिए जनसाधाराण तक बचाव तथा उपचार की जानकारी उपलब्ध कराना।
    5. मलेरिया की रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करना।
    6. सुरक्षित प्रसव की सेवायें सभी चिकित्सालयों मे उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना।
    7. मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु के कारणों की पहचान करना तथा उनमे कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करना।
    8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ जनसाधारण मे पहुचाने के लिए प्रचार प्रसार गतिविधयों का संचालन करना।
    9. महामारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करना।
    10. किसी भी आपात एवं प्राकृतीक आपदाओं से निपटने के लिए काम्बेट टीमों का गठन कर सुविधा उपलब्ध कराना।
5. लोक प्राधिकरण के कृत्य :–

विभाग द्वारा संचलित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं का जन लाभ साधारण को उपलब्ध कराना तथा बीमारियों के नियंत्रण हेतु सतत मुल्यांकन एवं निरिक्षण करना।

6. प्रदत सेवाओ की सूची एंव उनका संक्षिप्त विवरण :–

1- जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ वर्ष 2005 में किया गया। इस योजना में अभी तक 1840 महिलाओं को इस योजना के अतर्गत लाभ दिया गया । इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रू. 700 तथा प्रेरक को 600 रू. प्रदान किये जातें है, इस राशि मे परिवहन राशि भी शामील है।

2- प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना– यह योजना जिले में पूर्व से ही लागू है, इस योजना में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले ही लांभांवित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना में लाभान्वित न होने वाले एवं अनु.जाती एवं अनु. जनजाती के ए.पी.एल परिवारों का संस्थागत प्रसव पर रू. 300 परिवहन हेतु तथा प्रेरक को 200 रू. प्रदान किया जाता है।

3- दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजनाः– इस योजना के अंतर्गत अनु.जाती एवं अनु. जनजाती वर्ग के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी हितग्राहीयों को चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज कराने पर वर्ष में रू. 20000/– तक का निशुल्क उपचार दिया जाता है। वर्ष 2006–07 में 10118 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

4- विजयाराजे जननी बीमा कल्याण योजनाः– इस योजना का शुभारंभ 12 मई 2006 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर 1000/– की राशि प्रदान की जाती है। तथा किसी कारण से प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर रू. 50000/– का भुगतान दावा पेश करने पर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। जिले मे इस वर्ष एक दावा प्रकरण बीमा कंपनी को भुगतान हेतु भेजा गया है।

5- पल्स पोलियो कार्यक्रमः– पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत राजगढ़ जिले में प्रत्येक चरण में 0 से 5 वर्ष तक के शतप्रतिशत बच्चों को दवा पिलाई जाती है। सन 1996–1997 से जिले पोलियो सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। जिले में एक भी पोलियो का केस विगत वर्षो में नही पाया गया है।

6- परिवार कल्याण कार्यक्रमः– जिले में 7118 महिलाओ के नसबंदी आपरेशन तथा 71 पुरूषों आपरेशन कर लक्ष्य का 56 प्रतिशत पूर्ण किया गया है। नसबदी आपरेशन हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जा रहे है।

7- टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत 40318 बच्चों का छः जानलेवा बीमारी के बचाव हेतु टीकाकरण किया गया तथा लक्ष्य का 99 प्रतिशत पूर्ण किया गया । झुग्गी बस्तियों एवं दुरदराज के क्षेत्रों में टीकारण हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।

8- उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अनाबद्ध राशि– इस योजना केन्द्रों के प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र के मान से रू.10000/– रखरखाव एवं आकास्मीक व्यय हेतु प्रदान किये गये

9- एडस नियंत्रण कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम अंतर्गत राजगढ चिकित्सालय मे ब्लड बैंक संचालित की जा रही है, जिसमें अभी तक 1000 ब्ल्ड यूनिट का कलेक्शन हुआ है जिसमें से 975 ब्लड चढाये गये है। रक्तदान शिविरो के अंतर्गत जिले में तहसील स्तरीय 15 केंप लगाये गये केपो द्वारा 250 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में माननीय कलेक्टर महोदय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जिले के अधिंकाश अधिकारियों द्वारा अपना रक्तदान किया गया है। जिला चिकित्सालय की रक्त कोष टीम के सदस्य बीटीओ डॉ. पी.के. जेन तथा लेब टेक्नी. श्री सुरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है। जिले की इस सुविधा के कारण रक्त के अभाव में रोगीयों को बाहर नही भेजा जा रहा है। ब्लड बैंक में हमैशा रक्त का स्टॉक पूर्ण रहता है। रक्तदान पखवाडा में 1 जून से 14 जून तक 90 ब्लड डोनेट किया गया । जिलें में स्वैच्छिक रक्तदानकरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है।

10- अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत 1721 मेतियाबिंद के आपरेशन जिले में किये गये तथा 40623 बच्चों का नेत्र परिक्षण किया गया तथा 540 चश्मेा का वितरण किया गया।

11- कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में शतप्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ती कर ली गई है वर्तमान में जिले 66 रोगी उपचाररत है।

12- क्षय नियंत्रण कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम अंतर्गत इस वर्ष 1421 नये मरीजों को खोज कर उपचार दिया गया।

13- स्वास्थ्य संस्थाओं को क्रियाशिल करनाः– जिले की 3 सीमॉक तथा 11 बीमॉक संस्थाओं को सर्वसुविधा युक्त बनाने हेतु तथा भवन के मासिक एवं वार्षिक रखरखाव हेतु राशि प्रदान की गई है। सभी संस्थाओं मे दूरभाष एवं कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है। निर्माण

कार्यो के अंतर्गत राजगढ, ब्यावरा, नरसिंहगढ को राशि प्रदान की गई है। आर.सी.एच. कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति को बाल विवाह रोकने पर रू. 1000/– की राशि प्रदान की जाती है।

14- आर.सी.एच कार्यक्रम अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरूष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रू. 500/– प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सीमॉक चिकित्सालयों मे एक वार्ड को बच्चों के लिए खेलने एवं मनोरंजन के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाने हेतु धनराशि प्रदान की गई है। आर.सी.एच. योजना अंतर्गत विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

15- राज्य बीमारी सहायता अंतर्गत गंभीर बीमारीयों जैसे कैसंर, ह्दय की बीमारीयों के लिए रू. 75000 तक की जिला स्तर से तथा 150000 तक की राज्य स्तर से सहायता प्रदान की जाती है। अभीतक जिले मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 10 लोगो को लाभ प्रदान किया गया है जिसमें रू.510000/– प्रदान किये गये है। तथा चार प्रकरणों को भुगतान किया जाना शेष है।

16- आई.डी.एस.पी.योजनाः– जिले में एकीकृत बीमारी सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ इस वर्ष किया गया जिसमें एक जिला स्तरीय सर्वीलेंस टीम का गठन किया गया। इस योजनांतर्गत जिले के ग्रामों मे होने वाली संक्रामक बीमारीयों का सर्वेक्षण, बचाव कार्य, उपचार कार्य तथा सूचना तंत्र को विकसित कर भोपाल तथा दिल्ली से जोडा जावेगा। महामारी के प्रकोप होने के पूर्व ही उसका बचाव एवं उपचार प्रबंध किया जावेगा। जिले के अंदर स्थापित प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जावेगा।

17- डी.एफ.आई.डी. :7 इस योजनांतर्गत जिले में रू. 63 लाख प्राप्त हुव है । जिसमें से रू. 7 लाख के प्रोटिन युक्त बिस्कुट कुपोषित बच्चों को उपचार हेतु उपलब्ध कराये गये है। तथा उपकेन्द्रो पर आवश्यक औषधिया उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सालयों मे पानी की टंकी तथा हेंडपम्प हेतु रूपये एक लाख की राशि प्रदान की गई है। विधुत व्यवस्था हेतु इन्वरटर, व जनरेटर उपलब्ध कराये गये है तथा गरम पानी हेतु गीजर भी उपलब्ध कराये गये है।

18- बाल शक्ति योजनाः– यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से संपन्न की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे जिले मे कुपोषित बच्चों का बजन लेकर सर्वेक्षण किया जाता है तथा गंभीर रूप से ग्रसीत ग्रेड 2 एव 3 के बच्चों को चिकित्सालय में भर्ती कर मुफ्त उपचार एवं पोष्टीक आहार प्रदान किया जाता है।

7. विभागीय स्तरो (शासन ,निर्देशालय, क्षैत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढॉचा

स्वास्थ्य विभाग

शासन स्तरः – प्रमुख सचिव – उप सचिव – सचिव – आयुक्त – संचालक – संभागीय एवं संयुक्त संचालक (विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम) – उप संचालक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) – डेमोग्राफर– लेखाधिकारी

जिला स्तर–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय
2. प्राचार्या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र
3. जिला स्वास्थ्य अधिकारी
4. जिला मलेरिया अधिकारी
5. जिला कुष्ठ अधिकारी
6. जिला क्षय अधिकारी
7. जिला टीकाकरण अधिकारी
8. नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी

सेक्टर स्तर पर सेक्टर मेडिकल आफीसर एवं चिकित्सा अधिकारी
उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ग्राम स्तर पर :– जन स्वास्थ्य रक्षक – डिपोहोल्डर – आशा कार्यकर्ता

सिविल सर्जन कार्यालय

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
2. जिला अस्पताल – आर.एम.ओ.
3. सिविल अस्पताल– प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–चिकित्सा अधिकारी

8. जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

➢ जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, जिसकी साधारण सभा में जिला योजना समिति के सभी सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। समय समय पर विकास खण्ड स्तर पर सरपंचों की कार्यशाला का आयोजन कर विभागी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान कर सहयोग प्राप्त किया जाता है।

9. जन सेवाओ के अनुश्रवण एंव शिकायतो के निराकरण की व्यवस्था।

शासन निर्देशानुसार की गई है।

10. मुख्यालय कार्यालय तथा विभिन्न स्तरो पर कार्यालयो के पते (कृपया पतो का विकास खण्ड वार वर्गीकरण करे)

1- **कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ (ब्यावरा)म.प्र.**
2- **कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला राजगढ**
3- **कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी, जिला राजगढ म.प्र.।**
4- **प्रचार्या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, राजगढ**
5- **जिला चिकित्सालय राजगढ**
6- **सिविल अस्पताल ब्यावरा/नरसिंहगढ**
7- **खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.के. खुजेनर**
8- **खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.के. सुठालिया**
9- **खण्ड चिकित्सा अधिकार सामु.स्वा.के. जीरापुर**
10- **खण्ड चिकित्सा अधिकार सामु.स्वा.के. खिलचीपरु**
11- **खण्ड चिकित्सा अधिकार सामु.स्वा.के. सारंगपुर**
12- **खण्ड चिकित्सा अधिकार सामु.स्वा.के. बोडा**

11. मुख्य कार्यालय का खुलने का समय :– **प्रातः 10.30 बजे**

12. मुख्य कार्यालय का बन्द होने का समय :– **सायः 5.30 बजे**

बिन्दु क्रमाक 2

अ. प्रशासनीक प्रतिवेदन :– कार्यालय स्तर की संवरचना : **मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि.कार्यालय**

शाखा	अधिकारी /कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	दायित्व
सामान्य शाखा, स्टेशनरी, भवन, एम.	श्री एन.एस. झाला सहा.	सामान्य शाखा, स्टेशनरी, भवन, एम.आर.बिल

आर.बिल	ग्रेड–3	संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
स्थापना शाखा	श्री दीपक विजयवर्गीय सहा.ग्रेड–2	स्थापना शाखा संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
लेखा शाखा	श्री जी.के. दुबे लेखापाल	लेखा शाखा संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
म.स्वा.कार्य. प्रशि. केन्द्र, स्टेट आर.सी.एच.–2, सूचना का अधिकार, डी.जी.पी.एफ.,	श्री एल.एन. कुंभकार सहा. ग्रेड–2	महिला स्वास्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र
जिला प्रशिक्षण केन्द्र	श्री ए.के. पाराशर एन.एम.ए.	प्रशिक्षण संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
पेंशन, लीगलसेल, शिकायत	श्री एल.डी. साहु, केशियर	पेंशन, लीगलसेल, शिकायत संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
लोक स्वास्थ्य, वाहन	श्री कमलेश पुष्पद सहा. ग्रेड–2	लोक स्वास्थ्य, वाहन संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
एम.सी.एच.	श्री मनोज प्रजापती पु.स्वा. कार्य.	एम.सी.एच. संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
आवक शाखा	श्री गोपाल प्रसाद जाटव पु.स्वा.कार्य.	आवक शाखा का कार्य
स्टोर	श्री ए.अली स्टोरकीपर	स्टोर संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
साख्यिकीय	श्रीमति रामकली सिसोदिया ए.एस.ओ.	साख्यिकीय कार्य रिपोर्ट संकलन एवं भेजना।
जनशिक्षा	श्री पी.सी. सोनी प्रभारी डी.एम.ई.ओ.	जनशिक्षा संबधी कार्य एवं नस्तीयों का संधारण
राष्ट्रीय कार्यक्रम – कुष्ठ, मलेरिया, टीकाकरण, योजनाऐं, प्रशिक्षण	डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी	राष्ट्रीय कार्यक्रम – कुष्ठ, मलेरिया, टीकाकरण, योजनाऐं, प्रशिक्षण संबधी योजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
दृष्टीहिनता नियंत्रण कार्यक्रम	डॉ. एस. यदु	दृष्टीहिनता नियंत्रण कार्यक्रम संबधी योजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	डॉ. ए.के. सक्सेना	क्षय नियंत्रण कार्यक्रम संबधी योजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक राजगढ के अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारी

क0	पदनाम	पदस्थ कर्मचारी का नाम एवं पद	दायित्व
1	लेखापाल	श्री बी0एस0राठौर	लेखा संबधी कार्य
2	सहायक ग्रेड II	श्री आर0सी0पुष्पद	स्थापना संबधी समस्त कार्य
3	सहायक ग्रेड III	श्री संतोष कुंभकार	कार्यक्रमों एवं योजनाओं संबधी कार्य
4	सहायक ग्रेड III	श्रीमती कल्पना चौहान	आवक / जावक शाखा का कार्य
5	सहायक ग्रेड III	श्री भारत भूषण नामदेव	स्थापना एवं मेडिकल बोर्ड संबधी कार्य
6	स्टोर–कीपर	श्री ए. आचार्य	स्टोर संबधी कार्य

कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी राजगढ के अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारी

क0	पदनाम	पदस्थ चिकित्सकों के नाम	दायित्व
	मलेरिया निरिक्षक	श्री. के.आर. नामदेव	मलेरिया नियंत्रण संबधी कार्य
		श्री अजीत सेंगर	मलेरिया नियंत्रण संबधी कार्य

	सहायक ग्रेड II	श्रीमति आशा सक्सनो	स्थापना एवं लेखा संबधी कार्य
	सहायक ग्रेड III	श्री आर. मेथील	कार्यालय सहायक एवं रिपोर्ट संबधी कार्य
	सिनियर फिल्ड वर्कर	श्री आर.एस. विश्वकर्मा	क्षेत्र में मलेरिया से बचाव एवं उपचार संबधी कार्य
		श्री बाबू लाल	
		श्री गुप्ता	
	पम्प मेकेनिक	श्री बंसीलाल पुष्पद	स्प्रे पंपों का संधारण
	स्वीपर	श्री लाहोटी	कार्यालयीन साफ सफाई संबधी कार्य

बिन्दु कमाक 3

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ति खोले जाने से निर्णय लेने तक) शासन नियम/निर्देशानुसार को निम्नानुसार है ।

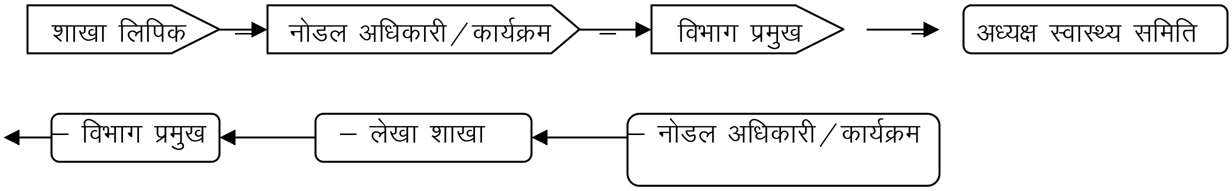

बिन्दु कमाक 4

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी

(अ) भारत शासन एवं राज्य शासन से टारगेट (वित्तीय एवं भौतिक) प्राप्त होते है। शासन निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित की जाती है। तथा कार्यालय में सिटीजन चार्टर लागु है।

बिन्दु कमाक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियमों के आधार पर विभागीय कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

बिन्दु कमाक 6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण

कमाक	विवरण सूची	रिमार्क
1	योजनावार लेजर का संधारण	
2	योजनावार केशबुकों का संधारण	
3	योजनावार आबंटन पंजियां	
4	योजनावार डेबिट व क्रेडिट व्हाउचर नश्तियां	
5	योजनावार निर्देश नस्तीयॉ	
6	योजनाओं एवं कार्यक्रमों संबधी लक्ष्य एवं उपलब्धियां	

बिन्दु कमाक 7
स्वास्थ्य उप समिति की संवरचना

स0क0	नाम सदस्य	पद
1	श्रीमति आयोध्या बाई	अध्यक्ष
2	श्री हजारीलाल दांगी	सदस्य
3	श्रीमति मोना सुस्तानी	सदस्य
4	श्री शिवनारायण बामलाबें	सदस्य
5	श्रीमति गीता बाई	सदस्य
6	श्रीमति प्रकाश बाई	सदस्य
7	श्री नंदकिशोर	सदस्य
8.	श्री प्रियवृत्त सिंह जी खिंची	मनोनित ासदस्य

बिन्दु क्रमांक 8
कार्यालय अंतर्गत क्रियाशील समितियां

स0क0	समिति का नाम	बैठक की आवृत्ती
1	जिला स्वास्थ्य समिति	प्रति माह
2	जिला उप स्वास्थ्य समिति	प्रति माह
3	जिला एडस नियंत्रण समिति	प्रति माह
4	जिला अंधत्व निवारण समिति	प्रति माह
5	जिला कुष्ठ उन्मुलन समिति	प्रति माह
6	जिला क्षय नियंत्रण समिति	प्रति माह
7	जिला आर.सी.एच. समिति	प्रति माह

उक्त सभी समितियां जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत समाहित की गई है।

बिन्दु कमाक 9 एंव 10

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाएं की जानकारी ।

कमाक	नाम अधिकारी	पद का नाम	वेतन परिलब्धियां राशि
1	2	3	4
1	डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	24000/–
2	श्रीमति शामीनी जोसफ	प्राचार्या म.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	20000/–
3	श्री बी.एम. दुबगे	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	22000/–
4	श्रीमति रामकली सिसोदिया	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	12000/–
5	श्री एच.पी. चौहान	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	12000/–
6	श्रीमति मेरी जोएल	एस.टी.	9000/–
7	श्रीमति उषा जाधव	एस.टी.	9000/–
8.	हेमलता यादव	एस.टी.	9000/–
9.	श्री पी.सी. सोनी	प्रभारी मीडिया अधिकारी	8000/–
10.	श्री जी.के. दुबे	लेखापाल	10000/–

11.	श्री के.सी. गुप्ता	यू.डी.सी.	10000/–
12.	श्री दीपक विजयवर्गीय	यूडीसी	6000/–
13.	श्री आनंद भारद्वाज	डाटा अधिकारी	12000/–
14.	श्री एल.एन. कुंभकार	यूडी.सी.	6000/–
15.	श्री कमलेश पुष्पद	यू.डी.सी.	6000/–
16.	श्री आर.भारद्वाज	लेखापाल	9000/–
17.	श्री एम.एल. मण्डलोई	एन.एम.एस.	9000/–
18.	श्री एन.आर. आर्य	एन.एम.एस.	9000/–
19.	श्री ए.के. पाराशर	एन.एम.ए.	7000/–
20.	श्री राजकिशोर शर्मा	नेत्र सहायक	7000/–
21.	श्री एन.के. खुजनेरी	एल.डी.सी.	5000/–
22.	श्री नाथु सिंह झाला	एल.डी.सी.	5000/–
23.	श्री दिनेश पारिक	एल.डी.सी.	5000/–
24.	श्री बिहारी लाल बरेरिया	एल.डीसी.	5000/–
25.	श्री आर.एन. शाक्य	लेब टक्नीशियन	7000/–
26.	कु. रेखा नापीत	एल.डी.सी.	5000/–
27.	कु. प्रियंका दीक्षित	एल.डी.सी.	5000/–
28.	श्री सुखराम भिलाला	प्युन	4000/–
29.	श्री भुतहरी भटी	प्युन	4000/–
30.	श्री भगवानी सिंह	प्युन	2200/–
31.	श्रीमति ब्रजलतासोलंकि	प्युन	2200/–
32.	श्री शिवसिंह	वाहन चालक	5000/–
33.	श्री गोपाल बाथम	वाहन चालक	5000/–
34.	श्री गोपाल विश्वकर्मा	वाहन चालक	5000/–
35.	श्री रमेश मेवाडे	वाहन चालक	5000/–
36.	श्री ओम प्रकाश	वाहन चालक	5000/–
37.	श्री अब्दुल हमीद	वाहन चालक	5000/–
38.	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	वाहन चालक	5000/–
39.	श्री धमेन्द्र सिंह	वाहन चालक	5000/–
40.	श्रीमति मुन्नी बाई	पी.टी.एस.	2200/–
सिविल सर्जन कार्यालय स्टाफ जिला राजगढ			
1	डॉ. आर.के. जैन	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	24000/–
2	श्री आर.सी. पुष्पद	यू.डी.सी.	8000/–
3	श्री बी.एस. राठोर	लेखापाल	8000/–
4	श्री प्रदीप विजय	लेखापाल	8000/–
5.	श्री आचार्य	स्टोरकीपर	8000/–
6.	श्री बी.एल. मेवाडे	यूडी.सी.	8000/–
7.	कु. नासीर जहां	लेखापाल	8000/–
9.	श्री संतोष कुभंकार	एल.डी.सी.	5000/–
10.	श्री भारत नामदेव	एल.डी.सी.	5000/–
11.	श्रीमति कल्पना चौहान	एल.डी.सी.	5000/–

बिन्दु क्रमाक 11

कार्यालय के लिये वर्ष 2005–06 में मदवार बजट आबंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी

क्रं.	मद (2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य)	वर्ष 2005–06		
		बजट	व्यय	रिमार्क
1	वेतन 11 (001 से 008)	**38214000**	**52060510**	
2	एम.आर. (11/009)	**77100**	**45139**	
3	मजदूरी 12 (000)	**933000**	**819238**	
4	यात्रा भत्ता 21 (001)	**75000**	**74686**	
5	कार्यालय व्यय 22(001 से 008)	**254503**	**156586**	
6	औषधी 34 (002)	**3910000**	**3863230**	
7	उपकरण 63 (001)	**1866230**	**1773881**	
8	विविध व्यय 34 (009)	**2452000**	**2368239**	
9	अन्य प्रभार (51/000)	**2929155**	**847313**	
10	पी.ओ.एल. 22 (009)	**85000**	**85000**	
11	मानदेय (संविदा चिकित्सकों के)(42/007)	**188000**	**184466**	
12	विज्ञापन	**9451**	**0**	
13	छात्रवृत्ति (म.स्वा.कार्य. के लिए) 41/002	**0**	**0**	
14	भोजन व्यय 34 (004)	**105000**	**64051**	
15	ट्रांसपोटेशन चार्जेस (31/007)	**151076**	**2475**	
16	कन्सुमेबल (34/006)	**71000**	**55710**	
17	न्यायालय डिक्री (53/000)	**65250**	**65250**	
	योग 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य :–	**51385765**	**62465774**	
	वर्ष 2005–06			
क्रं.	**मद (2211परिवार कल्याण)**	**बजट**	**व्यय**	**रिमार्क**
1	वेतन 11 (001 से 008)	**7312000**	**5919978**	
2	एम.आर. (11/009)	**225000**	**184945**	
3	मजदूरी 12 (000)	**410000**	**354471**	
4	यात्रा भत्ता 21 (001)	**355000**	**351922**	
5	कार्यालय व्यय 22(001 से 008)	**1175000**	**922996**	
6	औषधी 34 (002)	**350000**	**349702**	
7	उपकरण 63 (001)	**447000**	**198367**	
8	विविध व्यय 34 (009)	**425000**	**423081**	
9	अन्य प्रभार (51/000)	**33926**	**12695**	
10	नसबंदी क्षतिपूर्ति सेंट्रल शेयर 54–	**1962000**	**1898560**	
11	नसबंदी क्षतिपूर्ति स्टेट शेयर 22 (009)	**252000**	**247500**	
12	प्रोत्साहन राशि	**0**	**0**	
13	छात्रवृत्ति (म.स्वा.कार्य. के लिए) 41/002	**540000**	**297000**	
14	पी.ओ.एल. 22 (009)	**370000**	**370000**	
	योग (2211 परिवार कल्याण)	**13856926**	**11531217**	
	महायोग 2210 एवं 2211	**65242691**	**73996991**	

आरसी.एच. एवं डी.एफ.आई.डी. योजनांतर्गत वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी				
योजना का नाम	वर्ष	वर्ष में प्राप्त राशि	वर्ष में व्यय	शेष राशि
आरसी.एच. फेस–।।	2006–07 (जूलाई 2006 तक)	8692800.00	4685314.00	3692800.00
डी.एफ.आई.डी.	2006–07 जूलाई 06 तक)	7486790.00	5889583.00	1597207.00
Total		16179590.00	10574897.00	5290007.00

बिन्दु क्रमाक 15

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि सुविधा उपलब्ध नही है फिर भी स्वास्थ्य विभाग से संबधित नियमो की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। योजनाओं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबधित पोस्टर, पेम्पलेटस आदि प्रचार प्रसार सामग्री का कार्यालय से वितरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमाक 16

लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग जिला राजगढ (ब्यावरा)म.प्र. जिला स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग जिला राजगढ (ब्यावरा)म.प्र. उप जिला मीडिया अधिकारी	जिला स्तर पर कलेक्टर जिला राजगढ विभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल

बिन्दु क्रमाक 17

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका संबंध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी का भी आलेखन किया जाये।

निरंक